जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश

प्रेस नोटसं0 39 , दिनांक 25.08.2020

दिनांक 24.08.2020 को थाना कोतवाली उरई पुलिस एवं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व सर्विलांश सेल की संयुक्त टीम द्वारा 03 अन्तर्राज्यीय शातिर शराब तस्करों को 500 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1- सत्यभान पुत्र आजाद सिंह निवासी ग्राम नयाबांस थाना सांपला रोहतक हरियाणा।

2 – अजय पुत्र किशन निवासी ग्राम अजायव थाना महम रोहतक हरियाणा।

3 – विकास पुत्र जय भगवान निवासी पाक्समा थाना सांपला रोहतक हरियाणा।

बरामदगी का विवरण –

1 – 500 पेटी अवैध देशी शराब (कीमत करीव 20 लाख रूपये)

2 – 01 अदद ट्रक न0 HR-69 A-2724

3 – 01 अदद इटियोस कार न0 HR -12 Z-8990

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –

अभियुक्तगणों को जनपद जालौन के थाना क्षेत्र कोतवाली उरई के बाइपास रोड के निकट साईं पैलेस के पास बनी पुलिया से दिनांक 24.08.2020 को समय 23.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे ,वाहन चोर / वांछित अपराधियों, शराब तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 अवधेश सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सन्तोष कुमार के कुशल नेतृत्व में प्रभारी एसओजी /सर्विलांश /उरई पुलिस की संयुक्त टीम को लगाया गया था।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई व स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रभारी मय हमराह फोर्स थाना कोतवाली उरई क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे ,वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्र उरई के बाइपास रोड के निकट साईं पैलेस के पास बनी पुलिया से चेकिंग के दौरान एक ट्रक में कुल 500 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 581/2020 धारा 420 भादवि व 60/63 आबकारी अधि0 वनाम सत्यभान आदि 04 नफर पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है

पूंछताछ पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग विगत 02 वर्षो से अवैध देशी शराब की तस्करी हरियाणा से यूपी के विभिन्न जनपदों में करते हैं। हरियाणा की डिस्टलरी से ट्रकों से जो शराब निकलती है उसमें कुछ ट्रकों के कागजात चेक नहीं हो पाते हैं उनका माल खाली कराकर पुनः उन ट्रकों में डिस्टलरी की मिलीभगत से शराब लोड करा लेते हैं तथा जो शराब बिना कागजातों के चेक हुये बाहर आ जाती है उस शराब को हम लोग उत्तर प्रदेश ,बिहार , झारखन्ड एवं अन्य राज्यों में तस्करी कर सप्लाई करते हैं जिसे हम लोग सेब की पेटियों में छिपाकर दवाइयों की पेटियों में रखकर तथा ट्रकों की फर्श में गुप्त स्थान बनाकर शराब भरकर परिवहन करते हैं। आज हम लोग हरियाणा से अपने ट्रक में सेब की पेटियों के बीच में शराब रखकर अपने साथी मानवेन्द्र यादव निवासी ग्राम टांड़ा जनपद झांसी के साथ झांसी लेकर जा रहे थे।

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 30 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

अभियुक्तगणओं के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में हरियाणा व अन्य राज्य से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1 – प्र0नि0 श्री जेपी पाल कोत0 उरई जालौन।

2 – उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0 जालौन

3 – उ0नि0 अजय कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांश जालौन।

4 – उ0नि0 श्री रामवीर सिंह कोत0 उरई जालौन।

5 – उ0नि0 चन्दन पाण्डेय एस0ओ0जी0 जनपद जालौन।

6 – का0 1034 शैलेन्द्र चौहान एस0ओ0जी0जालौन।

7 – का0 1080 कर्मवीर सिंह सर्विलांस सेल जालौन।

8 – का0 1076 गौरव बाजपेई सर्विलांस सेल जालौन।

9 – का0 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल जालौन।

10 – का0 405 श्रीराम प्रजापति एस0ओ0जी0 जालौन

11 – का0 396 निरजन सिंह एस0ओ0जी0 जालौन।

12 – का0 380 भूपेन्द्र सिंह एस0ओ0जी0 जालौन।

13 - का0 417 अश्वनी प्रताप एस0ओ0जी0 जालौन।

14 - का0 1664 विनय प्रताप एस0ओ0जी0 जालौन।